न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 36 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 उग्रसेन पुत्र गुणेशाराम जाति मेघवाल निवासी राऊजी की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर		1 खुमाणाराम पुत्र गुणेशाराम फौत के कायम मुकाम 1/1 देऊदेवी पत्नी खुमाणाराम 1/2 कंवराराम पुत्र खुमाणाराम 2 हीराराम 3 किशनाराम पिसरान गुणेशाराम 4 पुनमाराम पुत्र कलाराम जाति मेघवाल निवासी राउजी की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 5 आम्बाराम पुत्र कलाराम 6 जगरूपाराम 7 भोपाराम 8 रतनाराम 9 राणाराम पिसरान कलाराम जाति मेघवाल निवासी काउ का खेड़ा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 10 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1. श्री कैलाश एन सारण, वकील प्रार्थी पक्ष।
2. श्री डूंगरसिंह महेचा, वकील अप्रार्थी संख्या 07।
3. पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 13.06.2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा माडपुरा सानी पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 685/259 रकबा 0.9955 हैक्टेयर व मौजा राऊ जी की ढाणी पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 402/175 रकबा 9.0488 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452/175 रकबा 4.2411 हैक्टेयर भूमि के आये हुए है, जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की रहवासी ढाणी, टांके आदि बने हुऐ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 09 के पूर्वज प्रभूराम के नाम से उक्त खेत वक्त सेटलमेन्ट दर्ज हुई थी जो मौजा राउजी की ढाणी के खसरा संख्या 174 रकबा 0.04 बीघा खसरा संख्या 175 रकबा 121.04 बीघा मौजा माडपुरा सानी खसरा संख्या 158 रकबा 74.00 बीघा खसरा संख्या 259 रकबा 12.06 बीघा कुल रकबा 207.10 बीघा भूमि के आये हुए थे। जिसमे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के पूर्वज गुणेशाराम का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 04 से 09 के पूर्वज कलाराम का 1/2 हिस्सा था जो माननीय न्यायालय एसडीओ कोर्ट बाडमेर राजस्व वाद संख्या 214/2006 अनवान किशनाराम बनाम खुमाणाराम अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2010 से कर दिया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के बीच उपरोक्त बंटवाड़ा में प्राप्त भूमि भाईयों का बंटवाड़ा करने हेतु एक राजस्व वाद संख्या 47/2016 माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एसडीओ बाडमेर में अनावान उग्रसेन बनाम खुमाणाराम पेश किया जो प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.07.2018 को जारी कर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया मौके पर विभाजन हेतु पटवारी मौके पर अप्रेल 2023 को आये जो पैमाईश खेतों की करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी मौजा राउजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 174 रकबा 0.0324 हैक्टेयर मौके पर नही होकर अप्रार्थी संख्या 04 से 09 के खेत खसरा संख्या 403/175 की भूमि में आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

प्रार्थी के खसरा संख्या 402/175 के रोढा रोढ आया हुआ है। उक्त ढाणी वक्त बंटवाड़ा 2010 में गलत लट्ठा ट्रेस में तरमीम हो जाने से अप्रार्थी संख्या 04 से 09 के हिस्से के खेत में सेढे पर होने से जा रही है। उक्त गलत तरमीम हो जाने के कारण मौके पर उभय पक्षों के मध्य तनाव की स्थिति हो गई है। मौजा राउजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 174 रकबा 0.0324 हैक्टेयर व खसरा संख्या 403/175 में जा रही है उसकी लट्ठा ट्रेस नक्शा में प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ए' में दर्शित वरंग लाल से दर्शित स्थान पर तरमीम दुरूस्त करवाना चाहते है। वर्तमान खसरा संख्या 402/175 व 403/175 की सीमा का संशोधन करवाने हेतु प्रार्थी विधिक अधिकारी है। लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में भारी अन्तर है। प्रार्थीगण मौजा राउजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 174 रकबा 0.0324 हैक्टेयर व खसरा संख्या 403/175 का मौके पर वादग्रस्त भूमि में परिशिष्ठ "ए" में वरंग लाल से प्रदर्शित अनुसार कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण वर्तमान में मौजा राउजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 402/175 व खसरा संख्या 403/175 भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार परिशिष्ठ 'ए' में वरंग लाल से प्रदर्शित अनुसार तरमीम दुरस्त करवान चाहते है, जिस हेतु यह आवेदन माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। लिहाजा मौजा राउजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 402/175 व खसरा संख्या 403/175 भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त करते हुए संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ए' अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण का जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 07 उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक राजस्व/2024/624 दिनांक 23.04.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा माडपुरा सानी पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 685/259 रकबा 0.9955 हैक्टैयर व मौजा राऊ जी की ढाणी पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 174 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 402/175 रकबा 9.0488 हैक्टेयर व खसरा संख्या 403/175 रकबा 2.2662 हैक्टेयर भूमि का विभाजन माननीय न्यायालय एसडीओ कोर्ट बाडमेर राजस्व वाद संख्या 214/2006 अनवान किशनाराम बनाम खुमाणाराम अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2010 की पालना कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया गया। उक्त निर्णय में तहसीलदार बाडमेर से भेजे गये विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 3185 दिनांक 28.06.2010 के संलग्न नक्शा अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन राजस्व नक्शा में तरमीम हुई है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 402/175 के खातेदारों की रहवासी ढाणी खसरा संख्या 403/175 की सीमा में चले जाने से इनकी सीमा की तरमीम दुरूस्त करवाना चाहते है। मौके पर उक्त दोनों खसरों की सीमा व रहवासी ढाणी को दर्शाते हुए तरमीम संशोधन का प्रस्ताव नक्शा पृथक से तैयार किया गया है, जिसके अनुसार संशोधन करने हेतु प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहमत है। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा मौजा राउजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 402/175 व खसरा संख्या 403/175 भूमि की तरमीम परिशिष्ठ के अनुसार दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा राउजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 402/175 व खसरा

उपखण्ड अधिकारी

संख्या 403/175 भूमि की तरमीम परिशिष्ठ के अनुसार दुरूस्त किये जाने पर सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त निर्णय में तहसीलदार बाडमेर से भेजे गये विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 3185 दिनांक 28.06.2010 के संलग्न नक्शा अनुसार लठ्ठा ट्रेस व ऑनलाईन राजस्व नक्शा में तरमीम हुई है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 402/175 के खातेदारों की रहवासी ढाणी खसरा संख्या 403/175 की सीमा में चले जाने से इनकी सीमा की तरमीम दुरूस्त करवाना चाहते है। मौके पर उक्त दोनों खसरों की सीमा व रहवासी ढाणी को दर्शाते हुए तरमीम संशोधन का प्रस्ताव नक्शा पृथक से तैयार किया गया है, जिसके अनुसार संशोधन करने हेतु प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहमत है। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा मौजा राउजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 402/175 व खसरा संख्या 403/175 भूमि की तरमीम परिशिष्ठ के अनुसार दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा राउजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 402/175 व खसरा संख्या 403/175 की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीदार बाडमेर ग्रामीण की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित तरमीम परिशिष्ट को उभय पक्ष की सहमति पर स्वीकार किया जाकर मौजा राउजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 402/175 व खसरा संख्या 403/175की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 13.06.2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर